देशभक्ति का निर्माण न्याय और सत्य की दृढ़ चट्टान पर ही किया जा सकता है।
-लाला लाजपत राय

आतंकियों के ताजा हमले में एक कश्मीरी पंडित की मौत बर्बर होने के साथ ही पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह सचमुच भयावह है कि आतंकी निर्दोष लोगों को उनके नाम, उनके धर्म से पहचान कर निशाना बना रहे हैं।

बर्बर और अस्वीकार्य

दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के ताजा लक्षित हमले में एक कश्मीरी पंडित की मौत बर्बर होने के साथ ही पूरी तरह से अस्वीकार्य है और यह आतंकियों की बौखलाहट को ही प्रदर्शित करती है। आतंकियों ने इस बार नाम पूछकर दो कश्मीरी पंडित भाइयों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई, जबकि उनके भाई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह सचमुच भयावह है कि आतंकी निर्दोष लोगों को उनके नाम, उनके धर्म से पहचान कर निशाना बना रहे हैं। अगस्त, 2019 में जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और इस राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने के बाद से आतंकी निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस साल अब तक 25 लोगों की आतंकियों के लक्षित हमलों में मौत हो चुकी है, जिनमें कश्मीरी पंडितों के अलावा सिख और मुस्लिम नागरिक भी शामिल हैं। आतंकियों की ये हरकत दिखाती है कि वे जम्मू-कश्मीर की बदली हुई परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और दहशत पैदा कर सामान्य स्थिति की बहाली को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके निशाने पर खासतौर से कश्मीरी पंडित हैं। वास्तविकता यह है कि 1990 के दशक में आतंकवाद के चरम पर रातोंरात अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए कश्मीरी पंडितों ने बड़ी कीमत चुकाई है। आज भी उनकी स्थिति विस्थापितों जैसी है और उनमें से अनेक लोगों को अब भी शिविरों में रहना पड़ रहा है। यह सचमुच पीड़ादायक है कि घाटी छोड़ गए कश्मीरी पंडितों की वापसी तो दूर, जो लोग घाटी से नहीं गए थे, उनका भी वहां रहना मुश्किल होता जा रहा है। केंद्र शासित क्षेत्र बनाए जाने के बाद से जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल का शासन है। बेशक, वहां पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव कराए गए हैं, लेकिन इससे जमीनी स्तर पर अल्पसंख्यकों के लिए हालात नहीं बदले हैं। यह समझना चूक होगी कि आतंकियों के ये हमले सिर्फ कश्मीरी पंडितों या

निर्दोष लोगों पर हो रहे हैं, इसकी तह में जाएं, तो समझ में आएगा कि यह पूरे जम्मू-कश्मीर को राजनीतिक प्रक्रिया और विकास की मुख्यधारा से काटने की साजिश है। जाहिर है, केंद्र तथा स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल के साथ स्थानीय राजनीतिक दलों तथा नागरिक समाज को जोड़कर ही आतंकियों के मंसूबों को ध्वस्त किया जा सकता है।

भारतीय कार्यबल में महिलाएं

स्वाधीनता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन मुद्दों का जिक्र किया, उनमें नारी सशक्तीकरण प्रमुख है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, जो श्रम बाजार में उनकी भागीदारी बढ़ाने से सुनिश्चित होगा।

पिछले तीन दशकों में भारत में तीव्र आर्थिक विकास, प्रजनन दर में गिरावट और महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि के बावजूद महिला कार्यबल भागीदारी दर (कामकाजी महिलाओं का अनुपात) देश में अब भी कम बनी हुई है। वास्तव में, 1987 के बाद से इसमें तेज और लगातार गिरावट देखी गई है। भारत के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में 25 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं और पुरुषों की कार्यबल में भागीदारी को देखें, तो दोनों के बीच अंतर स्पष्ट है। ग्रामीण और शहरी, दोनों इलाकों में पुरुषों की कार्यबल में भागीदारी दर महिलाओं की तुलना में काफी ज्यादा है। इस आयु वर्ग में पुरुष रोजगार दर ग्रामीण क्षेत्रों में 96 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर 94 प्रतिशत और शहरी भारत में 94 प्रतिशत से 91 प्रतिशत हो गई है। शहरी भारत में महिला कार्यबल भागीदारी भी 26 फीसदी से घटकर 24 फीसदी हो गई है। हालांकि, महिला रोजगार दर में सबसे बड़ी गिरावट ग्रामीण भारत में आई है, जहां महिला कार्यबल भागीदारी 1987 के 54 प्रतिशत से गिरकर 2017 में 31 प्रतिशत हो गई।

कणिका महाजन

मौजूदा शोध से पता चलता है कि 25-60 आयु वर्ग की ग्रामीण महिलाओं के समूह में भी गिरावट मुख्य रूप से उन लोगों में हुई है, जो अभी विवाहित हैं (सभी महिलाओं का लगभग 90 प्रतिशत)। जनसांख्यिकीय विशेषताओं में बदलाव (घर में विवाहित महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा योग्यता में वृद्धि) और बढ़ती घरेलू आय जैसे कारक 1987 से 1999 के दौरान महिला कार्यबल भागीदारी में संपूर्ण गिरावट की व्याख्या करते हैं। महिला शिक्षा और महिला रोजगार के बीच यू-आकार का संबंध और परिवार के पुरुष सदस्यों की शिक्षा या आय और महिला रोजगार के बीच एक नकारात्मक संबंध इस गिरावट को प्रेरित करता है।

कृषि क्षेत्र में महिला कार्यबल भागीदारी 1987 के 46 प्रतिशत से गिरकर 2011 में 33 प्रतिशत हो गई और 2017 में और कम होकर 23 प्रतिशत

हो गई। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में भी महिला कार्यबल की भागीदारी 3.5 फीसदी से घटकर 2.5 फीसदी हो गई। निर्माण एवं सेवा क्षेत्र अपवाद है, जहां इसमें एक से 1.5 फीसदी की वृद्धि हुई। पुरुष कार्यबल भागीदारी भी कृषि में 1987 के 77 प्रतिशत से गिरकर 2011 में 64 प्रतिशत हो गई, जो दर्शाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी कम है।

भारतीय कृषि कार्यों में श्रम का लैंगिक विभाजन है। महिला श्रम का उन कार्यों (जुताई) में उपयोग किए जाने की संभावना कम होती है, जिनमें शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है और उन कार्यों में उपयोग की अधिक संभावना होती है, जिनमें सटीकता (बुवाई, रोपाई और निराई) की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरूप कृषि में पुरुषों और महिलाओं के बीच सीमित प्रतिस्थापन क्षमता होती है। जब पुरुष और महिला श्रम अपूर्ण विकल्प होते हैं, तो तकनीकी परिवर्तन के असमान लैंगिक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि वर्ष 1999-2011 में कृषि मशीनीकरण, मुख्य रूप से जुताई में तीन गुना वृद्धि हुई। मशीनीकृत जुताई में दस फीसदी वृद्धि के कारण महिलाओं के कृषि श्रम उपयोग में पांच प्रतिशत की गिरावट आई, उनके गैर-कृषि रोजगार में कोई वृद्धि नहीं हुई। कृषि में महिला श्रम की गिरावट के साथ कार्यबल में समग्र और क्षेत्रवार रुझान भारत के लिए चिंताजनक भविष्य का संकेत करते हैं कि महिलाएं संरचनात्मक बदलाव से चूक रही हैं। कृषि कार्यों से बाहर निकलने वाले पुरुषों को अन्य क्षेत्रों (खासकर निर्माण एवं सेवा) में नौकरी मिली है, लेकिन महिलाओं को नहीं। नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है कि घर के पास रोजगार तक पहुंच की कमी महिलाओं को कृषि के बाहर वैतनिक रोजगार पाने की महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। महिलाओं की कम आवाजाही उन्हें निर्माण एवं कम-कुशल सेवाओं जैसे गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार पाने में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि ये नौकरियां गांव से काफी दूर होती हैं।

इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स सर्वेक्षण के रोजगार डाटा से पता चलता है कि 32 प्रतिशत पुरुष गांव से बाहर काम करते हैं, लेकिन केवल पांच प्रतिशत महिलाएं ही ऐसा करती हैं। साथ ही स्नातक से कम शिक्षा उच्च कुशल सेवा क्षेत्र की नौकरियों तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित करती है। हालांकि शहरी भारत में महिला कार्यबल भागीदारी में मामूली गिरावट आई है, लेकिन श्रम बाजार में शहरी महिलाओं की समग्र भागीदारी 24 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की भागीदारी 90 प्रतिशत है। अनुसंधान से पता चलता है कि आपूर्ति और मांग के कारण ऐसा है। श्रम बाजार में शहरी महिलाओं की कम भागीदारी को प्रमाणित करने वाले कुछ कारकों में घरेलू काम के लैंगिक विभाजन के आसपास के सामाजिक मानदंड शामिल हैं। इसके अलावा, भारत में कार्यरत महिलाओं को विवाह बाजार में दंड का सामना करना पड़ता है। हाल के शोध से पता चलता है कि नियोजित महिलाओं को भारत में योग्य विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना 14-20 प्रतिशत कम है। इस तरह का दंड विशेष रूप से उत्तरी भारत की उच्च जातियों में प्रचलित है, जहां लैंगिक मानदंड अधिक पितृसत्तात्मक हैं।

करीब 1.5 अरब की आबादी वाला देश अपनी आर्थिक और सामाजिक क्षमता को पूरी तरह से कैसे प्राप्त कर सकता है, अगर इसकी 40 प्रतिशत कामकाजी आबादी उत्पादक नौकरियों में संलग्न नहीं है? महिलाओं की सीमित गतिशीलता उनकी घरेलू जिम्मेदारियों के कारण हो सकती है, क्योंकि एक महिला प्रतिदिन कम से कम सात घंटे घरेलू जिम्मेदारियों में लगाती है, जबकि पुरुष उन कार्यों पर मात्र 30 मिनट खर्च करते हैं। सामाजिक मानदंडों में बदलाव धीमी गति से होता है, लेकिन महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन प्रदान करना श्रम बाजार में उन्हें प्रवेश करने के लिए प्रेरित कर सकता है। भारत में महिला रोजगार में सुधार का एक अन्य तरीका उन्हें ऐसा हुनर प्रदान करना हो सकता है, जो श्रम बाजार की मांग के अनुरूप हों। भारत में महिला रोजगार दर में कमी और गिरावट न केवल घर के भीतर महिलाओं की क्षमता को कम करती है, बल्कि देश की आय और सामाजिक विकास के लिए भी हानिकारक है।

-लेखिका अशोका यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।

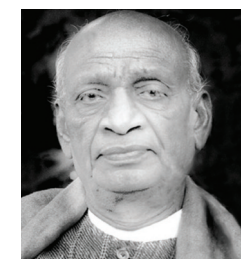

सरदार वल्लभ भाई पटेल
(1875–1950)

आजादी के अमृत कथन

मैं पूरी विनम्रता के साथ आपको सलाह दूंगा कि जब तक सरकार शर्तों को नहीं मानती है, तब तक पूरा भुगतान करने से मना कर दें। सवाल चंद लाख रुपये का नहीं है, बल्कि स्वाभिमान का है।

सवाल चंद रुपये का नहीं, स्वाभिमान का है

जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैंने 'हिज ऐक्सीलेंसी द गवर्नर' को एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण के लिए पत्र लिखा था। मेरे पास उसका जवाब आया है, जो कोई जवाब नहीं है। मुझे बताया गया है कि मेरा पत्र राजस्व विभाग को विचार और निष्पादन के लिए भेजा गया है। वे कब चिट्ठी पर विचार करेंगे, हम नहीं जानते; न ही हम उनके फैसले का इंतजार कर सकते हैं। यदि सरकार ने कहा होता कि मेरे पत्र पर विचार होने तक उन्होंने वसूली कार्यों को स्थगित करने का संकल्प लिया है और हमसे सम्मेलन को स्थगित करने के लिए कहा भी जाता, तो मुझे खुशी-खुशी इसका पालन करना चाहिए था। लेकिन अब मुझे बस उनके फैसले का इंतजार करना है। जब मैं आपसे पिछली बार मिला था, मैंने यह जानने के लिए कानून को देखा कि क्या अन्यायपूर्ण होने के बावजूद वृद्धि के आदेश न्यायसंगत हैं। मैंने पाया कि वे कानून के दायरे में भी नहीं हैं। यह एलआर कोड की धारा 107 का उल्लंघन है। बंदोबस्त अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट मौजूदा व्यवस्था के आधार पर तैयार की थी। हालांकि उनकी रिपोर्ट के बारे में जो कहा जाए, वह कम है (मुख्य बात यह है कि उन्होंने कभी भी गांवों का दौरा करने और ग्रामीणों से मिलने का कष्ट नहीं उठाया, जैसा कि अभी ओलपाड तालुका में किया जा रहा है)। मुझे कहना होगा कि उन्होंने पुरानी व्यवस्था का पालन किया था। बंदोबस्त आयोग ने एक अलग सिद्धांत अपनाया और उस सिद्धांत के आधार पर गांवों का फिर से समूह बनाया। इस तरह के बदलाव की स्थिति में सरकार एक नई अधिसूचना जारी करने के लिए बाध्य है, पर संशोधन समझौते को लागू करने की जल्दबाजी में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन परिस्थितियों में मैं पूरी विनम्रता के साथ आपको सलाह दूंगा कि जब तक सरकार शर्तों को नहीं मानती है, तब तक पूरा भुगतान करने से मना कर दें। आपको स्पष्ट रूप से यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी पीड़ा और दृढ़ संकल्प की क्षमता के अलावा आपके पास सरकार की क्रूर ताकत से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर लोग कष्ट सहने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तो सबसे ताकतवर तानाशाह को झुकना होगा।

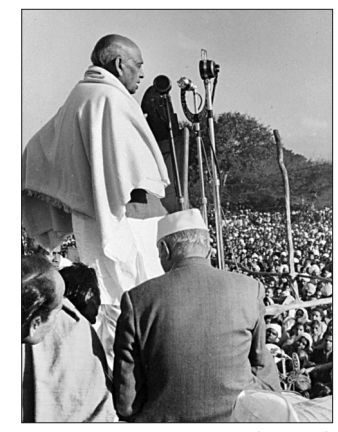

आपको सरकार की अपनी सनक और कल्पना के अनुसार राजस्व तय करने की मनमानी प्रणाली का विरोध करना होगा। इसके लिए आपको स्वावलंबी, साधन संपन्न और धैर्यवान होना होगा।

सवाल आज चंद लाख रुपये का नहीं है, बल्कि स्वाभिमान का है। यह सरकार का मौलिक सिद्धांत है कि प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। उन्हें इस मामले में आपके विचार सुने बिना कुछ नहीं करना चाहिए। आपको सरकार की अपनी सनक और कल्पना के अनुसार राजस्व तय करने की मनमानी का विरोध करना होगा। इसके लिए आपको स्वावलंबी, साधन संपन्न और धैर्यवान होना होगा। सरकार आपकी ताकत को विभिन्न तरीकों से आजमाएगी, विभिन्न प्रलोभन देगी, आपको बांटने के लिए कपट का सहारा लेगी। लेकिन आपको हर कीमत और कठिनाइयों का भुगतान करने से इनकार करने के अपने सिद्धांत का पालन करना होगा। मैंने प्रस्ताव में यह सुझाव दिया है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक सरकार निष्पक्ष न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं करती या वृद्धि के आदेश को रद्द नहीं कर देती।

-1928 में जब अंग्रेज सरकार ने भू-राजस्व 25 फीसदी बढ़ा दिया था, तब सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बारदोलोई में आंदोलन किया था। उसी दौरान दिए गए भाषण के अंश।

भूली बिसरी दास्तान

इतिहास के घुमावदार मोड़ों पर दंतकथाओं और असलियत के बीच फर्क करना होता है मुश्किल...

जोधाबाई, हरकाबाई, डोना या मरियम...क्या है सचाई

...तो क्या ये जोधाबाई का मकबरा है। पता नहीं...उम्रदराज सुरक्षाकर्मी की इस बेतुके से सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन दिल्ली से आई नौजवान पर्यटक वर्षा सच जानने को उत्सुक हैं। वह फिर पूछती हैं, अगर यह जोधाबाई का मकबरा है, तो शिलालेख पर मरियम जमानी क्यों लिखा है? कहीं भी जोधाबाई का जिक्र नहीं है। आखिर क्या है वर्षा के सवाल का जवाब? इतिहासकार इस मामले में अमूमन एक ही राय रखते हैं कि मुगल शासक अकबर की बेगम का नाम मरियम उज जमानी था। फिल्मों की कहानी से उलट ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि जोधाबाई नाम की किसी महिला की अकबर से शादी नहीं हुई थी। सिकंदरा में मरियम का जो मकबरा है, दरअसल वह हरकाबाई का है, जो आमेर के कछवाहा राजा भारमल की पुत्री थीं। यही जानकारी वहां लगे शिलापट्ट में भी मिलती है। इसके अनुसार, 1562 में उनका अकबर से विवाह हुआ था। 1569 में उन्होंने सलीम को जन्म दिया था। सलीम ने बाद में जहांगीर के नाम से शासन किया। फिर मरियम जमानी और हरकाबाई में क्या अंतर है, ये दोनों एक हैं या अलग। इतिहासकारों का कहना है कि अकबर ने हरकाबाई को मरियम उज जमानी की पदवी दी थी। अबुल फजल ने *अकबरनामा* और अब्दुल कादिर बदायूंनी ने *मंतखब उल तवारीख* में जोधाबाई का कोई जिक्र नहीं किया है।

भूपेंद्र कुमार

आगरा के सिकंदरा में मरियम उज जमानी का मकबरा। इसमें लोदी, मुगल काल की वास्तुकला की झलक मिलती है।

वास्तव में यह लोदी काल की बारादरी थी। मुगलों ने इसे मरियम जमानी का मकबरा बना दिया। मुगल काल में बहुत कम इमारतें ऐसी हैं, जिनमें गुंबद नहीं है, इसी वजह से मकबरा विशिष्ट स्थान रखता है।

जोधाबाई नाम आया कहां से : ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक *एनल्स ऐंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान* में हीर कुंवरी (जोधाबाई) का जिक्र किया है। उनके अनुसार, हीर कुंवरी आमेर के राजा भारमल की बेटी थीं। 1562 में उनका विवाह अकबर से हुआ। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में उनके लिए कृष्ण मंदिर बनवाया। यहीं से जोधाबाई के भ्रम की शुरुआत हुई। हालांकि पुस्तक के 1920 के संस्करण में लिखा गया है कि कर्नल टॉड ने जोधपुर महाराजा उदय सिंह की बेटी जोधाबाई को अकबर की बेगम मरियम समझ लिया था। यह ऐसी चूक थी, जिसने बाद के इतिहासकारों को भ्रमित कर दिया। जहांगीर ने जरूर जोधपुर की राजकुमारी से शादी की थी।

अकबर की पुर्तगाली रानी : लुई द असिस कोरेया ने *पोर्चगीज इंडिया ऐंड मुगल रिलेशंस 1510-1735* में लिखा, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अरब सागर में पुर्तगाली पोत पर हमला कर दो बहनों-डोना मारिया तथा जूलियाना को पकड़ लिया था। डोना को अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर ने डोना को बेगम बनाकर मरियम उज जमानी की पदवी दी। डोना ही जहांगीर की मां थीं। इस दावे को गंभीरता से नहीं लिया गया।

आंकड़े

रीयल-टाइम भुगतान

दुनिया भर में रीयल-टाइम भुगतान लेन-देन के मामले में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। भारत के बाद चीन एवं थाईलैंड का स्थान है।

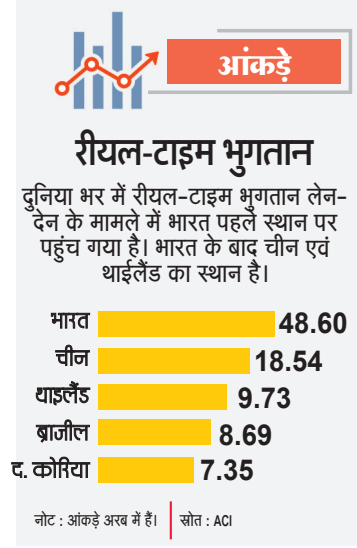

नोट : आंकड़े अरब में हैं। | स्रोत : ACI

गुरु से कुछ पाने के लिए विनयशील होना आवश्यक है। अनजान और मासूम बनकर ही कुछ सीखा जा सकता है।

अहंकार से पतन

अंतर्यात्रा
शिव कुमार गोयल

श्वेतकेतु ऋषि आरुणि का पुत्र था। आरुणि ने उसे घर में ही प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार दिए। कुछ बड़ा होने पर उन्होंने श्वेतकेतु से कहा, 'कुल परंपरा के अनुरूप गुरुकुल में रहकर साधना व धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना। गुरु की सेवा और सान्निध्य से ही तुम उपनिषदों और वेदों में पारंगत हो सकोगे।' श्वेतकेतु पिता का आदेश मानकर गुरुकुल में जाकर गुरु की सेवा में लग गया। चौबीस वर्ष की आयु पूरी होने पर वह घर लौटा। उसे यह झूठा अभिमान हो गया कि वेदों का उससे बड़ा कोई दूसरा व्याख्याता नहीं है और वह शास्त्रार्थ में सभी को पराजित कर सकता है। पिता ने पुत्र के अभिमानी और उद्दंडी स्वभाव को सहज ही भांप लिया। वह जान गए कि इसका अमर्यादित स्वभाव और अहंकार इसके पतन का कारण बनेगा।

एक दिन आरुणि ने पुत्र से कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन वह किसी का भी उपयुक्त उत्तर नहीं दे पाया। आरुणि ने कहा, 'पुत्र, तुम्हारे गुरु महान पंडित व साधक हैं। लगता है, अहंकारग्रस्त होने के कारण तुम उनसे कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। गुरु से कुछ पाने के लिए विनयशील होना आवश्यक है। अनजान और मासूम बनकर ही कुछ सीखा जा सकता है।'

श्वेतकेतु का अहंकार चूर-चूर हो गया।

(अमर उजाला आर्काइव से)

पुराने पन्नों से

बंगला देश में पाक सेना का आत्मसमर्पण

अमर उजाला
बंगला देश में पाक सेना का आत्मसमर्पण

हमने निरंतर घोषणा की है कि भारत की कोई क्षेत्रीय आकांक्षाएं नहीं हैं। अब जबकि बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेनाओं ने आत्म समर्पण कर दिया है और बांग्लादेश मुक्त हो चुका है, हमारी दृष्टि में वर्तमान संघर्ष को जारी रखना बेमानी है।

-इंदिरा गांधी,
16 दिसंबर, 1971

भारतीय सिंधी क्यों नहीं भुला पाते सिंध को

विभाजन से पहले भारत से होने वाला विदेशी व्यापार भी सामान्यतः सिंध स्थित बंदरगाहों के माध्यम से होता था।

प्रह्लाद सबनानी

इतिहास

जैसा कि सर्वविदित है कि प्राचीन भारत का इतिहास बहुत वैभवशाली रहा है। भारत को सही मायने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसकी ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई थी। इसके चलते भारत को लूटने और इसकी धरा पर कब्जा करने के उद्देश्य से पश्चिम के रेगिस्तानी इलाकों से आने वाले हमलावरों का वार सबसे पहले सिंध की वीरभूमि को ही झेलना पड़ता था। अविभाजित भारत में सिंध प्रांत को अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते किसी जमाने में भारत का द्वार भी माना जाता था। इसी कारण से सिंध प्रांत ने अरब देशों से भारत पर होने वाले आक्रांताओं के वार भी सबसे अधिक सहे। सिंध की पावन भूमि वैदिक संस्कृति एवं प्राचीन सभ्यता का केंद्र रही है। वहां अनेक ऋषियों एवं संत-महात्माओं ने जन्म लिया है।

आज के बलूचिस्तान, ईरान, कराची और पूरे सिंधु इलाके के राजा थे दाहिरसेन। उन्हें सिंध का अंतिम

हिंदू शासक माना जाता है और उन्होंने ही सिंध राज्य की सीमाओं का कन्नौज, कंधार, कश्मीर और कच्छ तक विस्तार किया था। उनका जन्म 663 ईसवी में हुआ था और 16 जून 712 ईसवी को इस महान भारत भूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने बलिदान दे दिया था। उनके शहीद होने के बाद उनकी पत्नी, बहन और दोनों पुत्रियों ने भी बलिदान देकर भारत में एक नई परंपरा का सूत्रपात किया था। गोरक्षक के रूप में उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी। सिंध राज्य के वैभव की कहानियां सुनकर ईरान के शासक हज्जाम ने 712 ईसवी में अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को एक विशाल सेना के साथ सिंध पर हमला करने के लिए भेजा। कासिम ने देवल के किले पर कई आक्रमण किए, पर राजा दाहिरसेन और उनके हिंदू वीरों ने हर बार उसे पीछे धकेल दिया। परंतु कई बार हारने के बावजूद अंततः मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिरसेन को विश्वासघात कर हरा दिया। उसके बाद सिंध को अल-हिलाज के खलीफा द्वारा अपने राज्य में शामिल कर लिया गया और खलीफा के प्रतिनिधियों द्वारा सिंध में शासन-प्रशासन चलाया गया।

समय के साथ-साथ सिंध पर शासन करने वाले शासक भी बदलते रहे। एक समय सिंध की राजधानी थट्टा पर अत्याचारी, दुराचारी एवं कट्टर इस्लामी आक्रमणकारी मिरखशाह का शासन स्थापित हो गया। उसने सिंध एवं इसके आसपास के क्षेत्र में इस्लाम को फैलाने के लिए वहां के निवासियों का नरसंहार करना शुरू किया। यदि भारत के प्राचीन अर्थतंत्र के बारे में अध्ययन किया जाए, तो ध्यान आता है कि प्राचीन भारत की अर्थव्यस्था बहुत समृद्ध थी एवं इसमें सिंध क्षेत्र का प्रमुख योगदान था। ब्रिटिश आर्थिक इतिहास लेखक एंगस मेडिसन एवं अन्य कई अनुसंधान शोधपत्रों के अनुसार ईसा के पूर्व की 15 शताब्दियों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 35.40 प्रतिशत बना रहा एवं ईसवी वर्ष एक से सन 1500 तक भारत विश्व का सबसे धनी देश था। एंगस मेडिसन के अनुसार, मुगलकालीन आर्थिक गतिरोध के बाद भी 1700 ईसवी में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 24.4 प्रतिशत था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के दौर में यह घटकर 1950 में मात्र 4.2 प्रतिशत रह गया था। भारत से कृषि उत्पादों, मसालों एवं कपड़े आदि के निर्यात से विदेशी मुद्रा के रूप में सोना प्राप्त होता था, अतः भारत में सोने के अथाह भंडार जमा हो गए थे। भारत से होने वाला विदेशी व्यापार भी सामान्यतः सिंध स्थित बंदरगाहों के माध्यम से होता था।

मुगलों एवं अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में हिंदुओं को विभिन्न जाति, धर्म, पंथ एवं संप्रदाय में अलग-अलग बांटने की पुरजोर कोशिश की गई थी, ताकि भारत एक राष्ट्र के रूप में उभर नहीं सके। सिंध क्षेत्र के हिंदू सिंधियों पर इन बातों का बहुत कम असर हुआ था। इसी के चलते वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के समय लाखों की संख्या में हिंदू सिंधियों ने भारत को अपनी माता मानते हुए भारत के विभिन्न राज्यों में अपना घर बसा लिया। हिंदू सिंधियों के उस वक्त के सबसे बुरे दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनकी बहुत मदद की थी। चूंकि पूर्व में सिंध भारत का अभिन्न अंग रहा है, अतः आज भारतीय सिंधियों में इस बात की टीस लगातार उभरती रहती है कि सिंध भारत से अलग क्यों है।

edit@amarujala.com